न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : नानू राम सैनी (आर.ए.एस)

खाद्य सुरक्षा परिवाद संख्या 08/2022 **GCMS No. 2022/286**

प्रार्थी/परिवादी	**बनाम**	**अप्रार्थी/गैरसायल–**
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर		1. अशोक कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जैन निवासी पाटोदी (मैसर्स मोहनलाल अशोक कुमार पाटोदी) 2. चन्द्रप्रकाश मुथा प्रोप्राईटर ऑफ फर्म मैसर्स गंगा ऐग्रोटेक,बी–11 मण्डोर मण्डी जोधपुर। 3. घनश्याम जमनालाल पुरोहित डारेक्टर ऑफ फर्म मैसर्स पालीवाल संस डेयरी प्राईवेट लिमिटेड,ऑफ फर्म पालीवाल संस डेयरी प्राईवेट लिमिटेड धोलपुर। 4. जमनालाल पुरोहित डारेक्टर ऑफ फर्म मैसर्स पालीवाल संस डेयरी प्राईवेट लिमिटेड, ऑफ फर्म पालीवाल संस डेयरी प्राईवेट लिमिटेड धोलपुर। 5. शोभा जमनालाल पुरोहित डारेक्टर ऑफ फर्म मैसर्स पालीवाल संस डेयरी प्राईवेट लिमिटेड,ऑफ फर्म पालीवाल संस डेयरी प्राईवेट लिमिटेड धोलपुर।

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. श्री अभियोजन अधिकारी, बाड़मेर प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. दीक्षित कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 03 व 05 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 04 फौत होने से अनुपस्थित।

–:आदेश:–

दिनांक:– 04.09.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा **51** खाद्य और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत **अप्रार्थीगण** के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि **अप्रार्थी संख्या 01** की फर्म **मैसर्स मोहन लाल अशोक कुमार, पाटोदी** पर निरीक्षण **दिनांक 24.10.2021**के दौरान विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ **घी पालीवाल** में मिलावट का शक होने पर नियमानुसार **500–500 एमएल के चार पैकेट** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1433** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत करवाये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी पालीवाल** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

उक्त खाद्य पदार्थ **घी पालीवाल** का नमूना जांच उपरांत रिपोर्ट **L.S./729/Act/2021/862 दिनांक 26.11.2021 में उक्त नमूना निम्न स्तर (Sub Standard)** पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर **अप्रार्थीगण** को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा **51** के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. **अप्रार्थीगण** को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। **अप्रार्थी संख्या 01 से 03 व 05 की ओर से अधिवक्ता श्री दीक्षित कुमार** उपस्थित। **अप्रार्थी संख्या 04** के फौत होने से अनुपस्थित। **अप्रार्थीगण** की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र वास्ते जवाब प्रस्तुत किया जिसका अध्ययन किया गया। अध्ययन उपरांत पाया गया कि प्रार्थी की ओर से पेश किये गये परिवाद में किसी भी प्रकार से नियमों का उल्लघंन न किया जाकर यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अप्रार्थीगण की पेश किये गये जवाब अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से अधिकारों का हनन होना प्रतित नहीं होता है। लिहाजा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र कोई ठोस एवं तथ्यपरक प्रतित नहीं होता है।

3. हमने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से संबंधित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। **अप्रार्थी संख्या 01** के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की जांच उपरांत रिपोर्ट **L.S./729/Act/2021/862 दिनांक 26.11.2021 में उक्त नमूना निम्न स्तर (Sub Standard)** पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत हाने पर **अप्रार्थीगण** को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। **अप्रार्थीगण** की ओर से **अप्रार्थी संख्या 01 से 03 व 05** की ओर से अधिवक्ता दौरान सुनवाई उपस्थित हुए तथा प्रकट किया कि **अप्रार्थी संख्या 01** की फर्म से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूने में पाई गई मिलावट न के बराबर है। और ऐसी मिलावट होने पर भूल हुई है उसे भविष्य में दोहराई नहीं जायेगी। **अप्रार्थी संख्या 01 से 03 व 05 की ओर से अधिवक्ता** ने उक्त नमूना **(Sub Standard)** पाये जाने के लिए प्रथम अपराध मानते हुए नरम रूख अपनाये जाने का निवेदन किया गया। इस प्रकार **अप्रार्थी संख्या 01** की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **(Sub Standard)** पाया जाने से खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से **अप्रार्थीगण** के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा **51** के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से **अप्रार्थीगण** पर संयुक्त रूप से **रुपये 10,000/– अक्षरे रुपये दस हजार** मात्र का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। **अप्रार्थीगण** उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर संबंधित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाख़िल दफ्तर हों एवं दर्ज नम्बर से कम हो।

5. आदेश दिनांक **04.09.2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नानू राम सैनी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा